



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15448

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1702/2026

हरे कृष्ण मूवमेंट वृंदावन, अपने उपाध्यक्ष के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: द्विजेंद्र प्रसाद, प्रद्युम्न कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा एकमात्र प्रार्थना यह की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त, न्यायिक प्रथम, आगरा मंडल, आगरा को निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उ.प्र.ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333 के तहत दायर निगरानी संख्या 1564/2016 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम हरे कृष्ण मूवमेंट वृंदावन) को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करें।
3. यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त निगरानी पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त, न्यायिक प्रथम, आगरा मंडल, आगरा को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले को कड़ाई से कानून के अनुसार, पक्षों को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से निर्णीत करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"